न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3312—एक/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 07—06—13 पारित अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक 194/अ—6/2010—11 अपील.

1— श्री कृष्ण पिता स्व. रामप्रसाद खरे
2— अनिल कुमार खरे पिता स्व. रामप्रसाद खरे
3— अशोक खरे पिता स्व. रामप्रसाद खरे
सभी निवासी निषाद हाईस्कूल के पास,बेंकट वार्ड
खिरहनी फाटक, कटनी जिला कटनी,म0प्र0 —— आवेदकगण

विरूध्द

1— श्रीमती अनीता श्रीवास्तव पत्नि देवेन्द्रकुमार श्रीवास्तव
पुत्री पिता स्व. रामप्रसाद खरे,नि0 भगवानगंज, सागर
2— श्रीमती उषा किरण खरे पत्नि राजेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
पुत्री पिता स्व. रामप्रसाद खरे,नि0 ग्राम इमलाज (बिलहरी)
तह0 रीठी, जिला कटनी
3— श्रीमती सुनीता वर्मा पत्नि भागचन्द वर्मा
नि0 छिड़ावघाट रोड, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर —— अनावेदकगण

श्री आदित्य शर्मा, अभिभाषक — आवेदकगण
श्री रमाशंकर यादव, अभिभाषक— अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक २५ — ०७ — ,2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के अपील प्रकरण कमांक 194/अ—6/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 07—06—13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनीता श्रीवास्तव ने नामान्तरण पंजी में पारित फौती नामान्तरण आदेश दिनांक 23—2—94 के विरूध्द अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 25—9—09 को प्रस्तुत की। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को समयावधि विधान की धारा 5 के आवेदनपत्र पर सुनने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 12—07—10 में यह निष्कर्ष निकाला कि नामान्तरण आदेश पारित करने के समय ना तो सभी वारिसान को सूचना दी गयी और ना ही इश्तहार का प्रकाशन किया। अतः अनुविभागीय अधिकारी व्दारा धारा 5 का आवेदनपत्र स्वीकार कर प्रकरण गुण—दोष पर सुनवायी हेतु नियत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 31—08—2010 में यह निष्कर्ष निकाला कि प्रश्नाधीन भूमि कुल रकबा 1.332 हे. पैत्रिक सम्पत्ति है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत भूमिस्वामी की मृत्यु होने पर उसकी विधवा एवं पुत्रियों को भी बराबर स्वत्व, हक प्राप्त करने की पात्रता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील स्वीकार कर नामान्तरण आदेश निरस्त किया और प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया कि स्व. रामप्रसाद खरे के सभी विधिक वारिसान को सुनने के बाद हिन्दू विधि के अनुसार वारसानों के नाम पर नामान्तरण किया जाय। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी अपील अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 07—06—13 व्दारा खारिज की गयी है और यह निर्धारित किया है कि रामप्रसाद निर्वसीयत फोत हुए थे, इस कारण अनावेदक को रामप्रसाद की पुत्री होने से अपने पिता की सम्पत्ति पर अन्य वारिसान के साथ समान हिस्से का अधिकार था। अपर आयुक्त के आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पैत्रिक सम्पत्ति नहीं है, बल्कि स्व. रामप्रसाद की स्वअर्जित सम्पत्ति है। प्रश्नाधीन

भूमि वर्ष 1981 के पूर्व पुष्पाबाई वल्द ब्रजबिहारीलाल के स्वामित्व की थी जिसे न्यायालयीन आदेश के उपरान्त स्व. रामप्रसाद को भूमिस्वामी घोषित किया है। उनका यह भी तर्क है कि पैत्रिक सम्पत्ति व स्वयं अर्जित सम्पत्ति में पुत्रियों को हक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में किये गये संशोधन से दिनांक 9—9—2005 को प्रभाव में आया है। आवेदकगण के पिता रामप्रसाद की मृत्यु 1990 में हुई, इस कारण पुत्रियों को प्रश्नाधीन भूमि में हक होना मानने में अपीलीय न्यायालयों ने गलती की है। उनका यह भी तर्क है कि अनावेदक को नामान्तरण आदेश की जानकारी तत्समय समय से थी, किन्तु उसके व्दारा 15 वर्ष बाद अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है। अनुविभागीय अधिकारी को विलम्ब आवेदनपत्र का सर्वप्रथम निराकरण करना था, किन्तु विलम्ब पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया जिस कारण प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं थी। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदकगण मृत रामप्रसाद की पुत्रियॉं हैं, इस कारण नामान्तरण प्रकरण में हितबध्द पक्षकार थी, किन्तु नामान्तरण पंजी में नामान्तरण आदेश पारित करने के पूर्व अनावेदकगण को कोई सूचना नहीं दी गयी और ना ही इश्तहार का विधिवत प्रकाशन किया गया। नामान्तरण आदेश की जानकारी होने पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है जो जानकारी के दिनांक से समयावधि में है। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा समयावधि के बिन्दु पर उभय पक्ष को सुनने के पश्चात अंतरिम आदेश पारित किये गये हैं। उनका यह भी तर्क है कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत पत्नि, पुत्र तथा पुत्रियों प्रथम श्रेणी के वारिसान है, इस कारण उन्हें समान हक प्राप्त करने की पात्रता है। उनका तर्क है कि अपीलीय न्यायालयों के आदेश में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को समयावधि विधान की धारा 5 के आवेदनपत्र पर सुनने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 12–07–10 पारित कर धारा 5 का आवेदनपत्र स्वीकार किया है। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख में उपलब्ध नामान्तरण पंजी की प्रति को देखने से स्पष्ट है कि नामान्तरण पंजी में खातेदार रामप्रसाद के फौत होने से वारिसान आधार पर रामप्रसाद के पुत्रों एवं पत्नी का राजरा अनुसार नामान्तरण प्रमाणिकृत किया गया है। अनावेदकगण मृत रामप्रसाद खरे की पुत्रियॉं है, इस तथ्य से आवेदकगण व्दारा इन्कार नहीं किया गया है। ऐसी दशा में स्व. रामप्रसाद की मृत्यु होने पर रामप्रसाद के पुत्र के साथ ही पुत्रियॉं भी थी जिन्हें सजरे में नहीं दर्शाया गया। नामान्तरण पंजी में नामान्तरण करने के पूर्व पुत्रियों को कोई सूचना नहीं दी गयी, जबकि संहिता की धारा 110 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनावेदक रामप्रसाद की पुत्रियॉं होने से हितबध्द पक्षकार थी और उन्हें सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिया जाना आज्ञापक था। नामान्तरण नियमों के नियम 27 के अनुसार हितबध्द पक्षकारों पर सूचनापत्र की व्यक्तिशः तामीली की जाना आवश्यक है। नामान्तरण पंजी में इश्तहार जारी करने का भी कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील जानकारी के दिनांक से समयावधि में मान्य कर उसका गुण–दोष पर निराकरण किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पत्नी, पुत्र पुत्रियॉं प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है, इस कारण मृत स्व. रामप्रसाद की मृत्यु के बाद पुत्रियों को भी मृतक व्दारा छोड़ी गयी सम्पत्ति में बराबर हक प्राप्त करने की अधिकारिता है। ऐसी दशा में निगरानी में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 07–06–13 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31–08–10 यथावत रखे जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर.